01/03/23 बार संघ का कार्य स्थगित है श्री मान PO साहब अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 14/3/23 को पेश हो Kamal

14/3/23 बार संघ का कार्य स्थगित है श्री मान PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 28/3/23 को पेश हो

28/3/23 अधिवक्तागण उपस्थित। TDR KPR से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। श्रीमान PO महोदय अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 29/3/23 को पेश हो Kamal

29/3/23 अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ता के द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति प्रकट की अधिवक्तागण को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया वादी का वादपत्र व प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम TDR KPR से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से खारिज हो

(हस्ताक्षर) (सुनील शास्त्री)

वादी/प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:46:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या 13/2023

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1.केवल सिंह पुत्र दीदार सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 21 एच तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।	1. मंगल सिंह पुत्र दीदार सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 21 एच तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 2. राजेन्द्र सिंह पुत्र दीदार सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 21 एच तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 3. रिछपाल सिंह पुत्र दीदार सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 21 एच तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 4. सुखदेव सिंह पुत्र दीदार सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 21 एच तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरनपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 18.01.2023

उपस्थितः 1.श्री राजेन्द्र रमाणा अधिवक्ता वादी
2. श्री प्रेम कुमार अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 4

--निर्णय-- दिनांकः 29.03.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 21 एच की जमाबन्दी सम्वत् 2075 ता 2078 के खाता संख्या 40/42 के मु0नं0 9 के किला नं0 1 ता 23 प्रत्येक सालम-सालम, किला नं0 24, 25 प्रत्येक के 0.252 है0 कुल 6.323 है0 नहरी भूमि में से वादी के नाम 6324/31615 हिस्सा यानि 1.265 है0 नहरी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा शेष भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने काश्त की सहुलियत के लिए अपने-अपने हिस्सा की भूमि का वाहमी बंटवारा किया हुआ है। वादी को तहसील श्रीकरनपुर के चक 21 एच की जमाबन्दी सम्वत् 2075 ता 2078 के खाता संख्या 40/42 के मु0नं0 9 के किला नं0 6 ता 10 प्रत्येक सालम-सालम कुल 1.265 है0 नहरी भूमि वाहमी बंटवारा में प्राप्त हुई है, जिस पर वादी आज तक लगातार, शांतिपूर्वक काविज काश्त चला आ रहा है। वादी की उक्त भूमि का विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है। वादी वाहमी बंटवारा में प्राप्त उक्त भूमि का विधिवत् विभाजन करवाना चाहता है, ताकि भविष्य में आने वाली परेशानियों से बचा जा सके, चूंकि मुश्तर्का खाता की भूमि में पानी की बारी, रास्ता, मुआवजा आदि को लेकर परेशानिया वनी रहती है, जिनके निवारण के लिए वादी खाता विभाजन करवाना चाहता है, जिसका वह अधिकारी है। दावा दायरी से दो रोज पूर्व वादी ने प्रतिवादीगण से अपने-अपने हिस्सा की भूमि का वाहमी बंटवारा अनुसार विधिवत् विभाजन करवाने को कहा तो प्रतिवादीगण ने स्पष्ट इन्कार कर दिया, इसलिए वादी को मजबूरन श्रीमान् जी के न्यायालय में दावा दायर करना पड़ा, यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री सादर फरमाया जावेः-कि तहसील श्रीकरनपुर के चक 21 एच की जमाबन्दी सम्वत् 2075 ता 2078 के खाता संख्या 40/42 के मु0नं0 9 के किला नं0 6 ता 10 प्रत्येक सालम-सालम कुल 1.265 है0 नहरी भूमि का खाता वादी के नाम से अलग से तकसीम किया जाकर लगान भूमि भी अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार ने उपस्थित आया

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:46:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या 13/2023

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1.केवल सिंह पुत्र दीदार सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 21 एच तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।	1. मंगल सिंह पुत्र दीदार सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 21 एच तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 2. राजेन्द्र सिंह पुत्र दीदार सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 21 एच तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 3. रिछपाल सिंह पुत्र दीदार सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 21 एच तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 4. सुखदेव सिंह पुत्र दीदार सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 21 एच तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरनपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 18.01.2023

उपस्थितः 1.श्री राजेन्द्र रमाणा अधिवक्ता वादी
2. श्री प्रेम कुमार अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 4

--निर्णय-- **दिनांकः 29.03.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 21 एच की जमाबन्दी सम्वत् 2075 ता 2078 के खाता संख्या 40/42 के मु0नं0 9 के किला नं0 1 ता 23 प्रत्येक सालम-सालम, किला नं0 24, 25 प्रत्येक के 0.252 है0 कुल 6.323 है0 नहरी भूमि में से वादी के नाम 6324/31615 हिस्सा यानि 1.265 है0 नहरी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा शेष भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने काश्त की सहुलियत के लिए अपने-अपने हिस्सा की भूमि का वाहमी बंटवारा किया हुआ है। वादी को तहसील श्रीकरनपुर के चक 21 एच की जमाबन्दी सम्वत् 2075 ता 2078 के खाता संख्या 40/42 के मु0नं0 9 के किला नं0 6 ता 10 प्रत्येक सालम-सालम कुल 1.265 है0 नहरी भूमि वाहमी बंटवारा में प्राप्त हुई है, जिस पर वादी आज तक लगातार, शांतिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है। वादी की उक्त भूमि का विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है। वादी वाहमी बंटवारा में प्राप्त उक्त भूमि का विधिवत् विभाजन करवाना चाहता है, ताकि भविष्य में आने वाली परेशानियों से बचा जा सके, चूंकि मुश्तर्का खाता की भूमि में पानी की बारी, रास्ता, मुआवजा आदि को लेकर परेशानिया बनी रहती है, जिनके निवारण के लिए वादी खाता विभाजन करवाना चाहता है, जिसका वह अधिकारी है। दावा दायरी से दो रोज पूर्व वादी ने प्रतिवादीगण से अपने-अपने हिस्सा की भूमि का वाहमी बंटवारा अनुसार विधिवत् विभाजन करवाने [illegible] कर दिया, इसलिए वादी को मजबूरन श्रीमान् जी के न्यायालय में दावा दायर क[illegible]पड[illegible] है, यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिक[illegible] अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण [illegible] फरमाया जावेः-कि तहसील श्रीकरनपुर के चक 21 एच की जमाबन्दी सम्वत् 2075 ता 2078 के खाता संख्या 40/42 के मु0नं0 9 के किला नं0 6 ता 10 प्रत्येक सालम-सालम कुल 1.265 है0 नहरी भूमि का खाता वादी के नाम से अलग से तकसीम किया जाकर लगान भूमि भी अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:46:18 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार ने उपस्थित आया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरनपुर

व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। काउन्टर क्लेम के अनुसार चक 21 एच की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 40/42 के मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 1 ता 4 प्रतिवादी संख्या 1 मंगल सिंह के नाम , किला नम्बर 11 ता 15 प्रतिवादी संख्या 2 राजेन्द्र सिंह के नाम, किला नम्बर 21 ता 25 प्रतिवादी संख्या 3 रिछपाल सिंह के नाम व किला नम्बर 16 ता 20 प्रतिवादी संख्या 4 सुखदेव सिंह के नाम अलग से खाता व लगान कायम किए जाने के आदेश दिए जावें। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र व काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी व प्रतिवादीगण राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादी व प्रतिवादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। अतः वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 21 एच, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 40/42 के मुरब्बा नम्बर 9 की कुल 6.323 हेक्टैयर भूमि में वादी केवल सिंह के हिस्सा में 1.2648 हेक्टैयर, प्रतिवादी संख्या 1 मंगल सिंह के हिस्सा में 1.2648 हेक्टैयर, प्रतिवादी संख्या 2 राजेन्द्र सिंह के हिस्सा में 1.2638, प्रतिवादी संख्या 3 रिछपाल सिंह के हिस्सा में 1.2648 हेक्टैयर, प्रतिवादी संख्या 4 सुखदेव सिंह के हिस्सा में 1.2648 हेक्टैयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे तथा शेष खाता बदस्तुर रहे। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, शामिल मिसल की गई।

बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान उभयपक्ष अधिवक्तागण ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद पत्र व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

अतः अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 21 एच, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 40/42 के मुरब्बा नम्बर 9 की कुल 6.323 हेक्टैयर भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की [illegible] बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:46:18 IST
Reason: SelfAttested

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु. न.	किला नं.	रकबा	किस्म	लगान
1	केवल सिंह पुत्र दीदार सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 21 एच तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर (1.265 है.)	21 एच	9	6 ता 10	1.265 हेक्टैयर	नहरी	10.50

2	मंगल सिंह पुत्र दीदार सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 21 एच तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर(1.265 है.)	21 एच	9	1 ता 5	1.265 हेक्टैयर	नहरी	10.50
3	राजेन्द्र सिंह पुत्र दीदार सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 21 एच तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर(1.265 है.)	21 एच	9	11 ता 15	1.265 हेक्टैयर	नहरी	10.50
4	सुखदेव सिंह पुत्र दीदार सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 21 एच तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।(1.265 है.)	21 एच	9	16 ता 20	1.265 हेक्टैयर	नहरी	10.50
5	रविन्द्र सिंह पुत्र रिछपाल सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 21 एच, परमजीत सिंह पुत्र रिछपाल सिंह जटसिख निवासी गांव 21 एच(1.263 है.)	21 एच	9	21 ता 25	1.263 हेक्टैयर	नहरी	10.48

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{**सुभाष चन्द्र** (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 29.03.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{**सुभाष चन्द्र** (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:46:18 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

केवल सिंह बनाम मंगल सिंह आदि

धारा अन्तर्गत 53 आरटीए मुकदमा नम्बर 13/2023

निर्णय दिनांक :- 29.03.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी ...दी अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार उपस्थित होने पर आदेश दिया जाता ... व डिक्री दी जाती है कि अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ...म 21 एच, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में ...बन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 40/42 के मुरब्बा नम्बर 9 की कुल 6.323 हेक्टैयर भूमि में वादी ... प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है.

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु. न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	केवल सिंह पुत्र दीदार सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 21 एच तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।(1.265 है.)	21 एच	9	6 ता 10	1.265 हेक्टैयर	नहरी	10.50
[illegible]	...सिंह पुत्र दीदार सिंह जाति जटसिख ...वासी गांव 21 एच तहसील श्रीकरनपुर ...ला श्रीगंगानगर(1.265 है.)	21 एच	9	1 ता 5	1.265 हेक्टैयर	नहरी	10.50
[illegible]	...न्द्र सिंह पुत्र दीदार सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 21 एच तहसील ...करनपुर जिला श्रीगंगानगर(1.265 है.)	21 एच	9	11 ता 15	1.265 हेक्टैयर	नहरी	10.50
[illegible]	...देव सिंह पुत्र दीदार सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 21 एच तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।(1.265 है.)	21 एच	9	16 ता 20	1.265 हेक्टैयर	नहरी	10.50
[illegible]	...न्द्र सिंह पुत्र गिछपाल सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 21 एच, परमजीत ...सिंह पुत्र गिछपाल सिंह जटसिख निवासी गांव 21 एच(1.263 है.)	21 एच	9	21 ता 25	1.263 हेक्टैयर	नहरी	10.48

... खाता एंव **रहन बदस्तूर रहेगा।** तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन ... मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे।

...नांक 29.03.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra

Date: 2023.06.09 14:46:18 IST

Reason: SelfAttested

{सुभाष चन्द्र (आर.ए....}

सहायक ...

खर्चा	रूपया	पैसा	मुदायली		
... अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	
... वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
... वकील	800	00	मेहनताना वकील पर	00	--
	804	00	योग	04	00

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

क्रमांक: रीडर/ 2023/170 दिनांक: 29.03.2023

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:46:18 IST
Reason: SelfAttested